डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow

उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांक 2516 / फा0सं0–499 / वि0नामित / स्था0 / DSMNRU / 2021–22 दिनॉक 25 फरवरी, 2022

// कार्यालय आदेश //

विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा–28 में वर्णित व्यवस्थानुसार "(1) विश्वविद्यालय में प्रत्येक विभाग के लिए एक विभागाध्यक्ष होगा। (2) विभागाध्यक्षों की शक्तियाँ, कृत्य, नियुक्तियां और सेवा शर्तें वहीं होगी जैसा विहित किया जाए।"

तत्क्रम में विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2009 के अध्याय–5 में विभागों के अध्यक्ष की नियुक्ति के सम्बन्ध में धारा–5.05 से 5.09 में दी गई व्यवस्था के क्रम में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत् शिक्षकवृन्द को तालिका में नाम के सम्मुख निम्नानुसार 03 वर्ष हेतु विभागाध्यक्ष, इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से नियुक्त किये जाने का निदेश हुआ है :–

क्र.सं.	विभाग का नाम	नियुक्ति / नामित विभागाध्यक्ष
1.	समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान तथा समाज कार्य विभाग	डॉ0 शैलजा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र)
2.	अर्थशास्त्र विभाग	डॉ0 अनामिका सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र)

इन विभागाध्यक्षों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं प्रथम परिनियमावली में दी गयी संगत व्यवस्थाओं के अधीन अपने–अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार विभागाध्यक्षों का कार्यकाल इस कार्यालय आदेश के निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष तक के लिए प्रभावी होगा। इस दायित्व के लिए विभागाध्यक्षों को किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन, भत्ते अथवा मानदेय आदि देय नहीं होगा।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

<u>पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मा0 कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
3. समस्त संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
4. कुलानुशासक / परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. सम्बन्धित एसोसिएट प्रोफेसरगण, विश्वविद्यालय।
7. सम्बन्धित विभाग के समस्त शिक्षकवृन्द।
8. समस्त अधिकारीगण।
9. विश्वविद्यालय की वेबसाइट हेतु।
10. सम्बन्धित की व्यक्तिगत् पत्रावली हेतु।
11. गार्ड फाइल।

25/2/2022

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव